सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशु पालन विभाग,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
कानपुरनगर/कानपुरदेहात/कन्नौज/औरैया/इटावा/फर्रुखाबाद/मुजफ्फरनगर/शामली/सहारनपुर/आजमगढ़/मऊ/झांसी/जालौन/चित्रकूट/बांदा/हमीरपुर/महोबा/बरेली/पीलीभीत/बदायूँ/अलीगढ़/एटा/फैजाबाद/अमेठी/हापुड़/मैनपुरी/बुलन्दशहर/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद/मेरठ/फतेहपुर/कौशाम्बी/हरदोई/उन्नाव/आगरा/मथुरा/रामपुर/फिरोजाबाद/जौनपुर/सोनभद्र/अमरोहा/देवरिया/कुशीनगर/महराजगंज।

पत्रांक: /चारा/।।।एफ (417)/2014–15 दिनांकः 16/08/2016

विषयः–रिट याचिका (सिविल) संख्या–857/2015 स्वराज अभियान (IV) V/s Union of India and ors. पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो/निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन पशुधन अनु0–2 के पत्र संख्या–68 पी0/सैंतीस–2/16–28(9) दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रबी–2015 में चारा उत्पादन कार्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–215/बजट/29(5)/अनु0–11/01/2015–16 दिनॉक 20.10.2015 द्वारा बजट का आवंटन किया गया है। आवंटित धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1091/प–2/।।।एफ(417)/2014–15 दिनांक–28.10.15 एवं पत्र सं0–1097/प–2/।।। एफ (417)/2014–15 दिनांक–30.10.15 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुये अपेक्षा की गयी थी कि योजनान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की प्रगति एवं योजना का फीडबैक निर्धारित संलग्न प्रारूप पर तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। जो अभी तक आप के स्तर से उपलब्ध नही कराया गया है। उ0प्र0, शासन कृषि अनुभाग–2 के पत्र सं0 1233(1)/12–2–2016 दिनांक 12 मई, 2016 एवं उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ के पत्र सं0–रा0कृ0वि0यो0/114/2016–17 दिनांक 25. मई, 2016 द्वारा अपेक्षा की गई है कि योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति की जाय। अतः योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों की संख्या अवश्य अंकित की जाय। योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराये जाय। पूर्व प्रेषित

निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थियों की सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ निम्न प्रारूप पर भी सूचना तत्काल उपलब्ध करायें–

अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय धनराशि की सूचना उपलब्ध कराने का प्रारूपः–

क0सं0	मदवार आवंटित धनराशि	क्रय/आपूर्ति की गई सामग्री का विवरण				
		सामग्री का नाम	मात्रा	दर	धनराशि	क्रय/आपूर्ति का स्रोत (बीजक की छायाप्रति सहित)
1	2	3	4	5	6	7

उपर्युक्त सूचनाएं पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो/निर्देशों के अनुपालन में समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध करायी जा सके। सूचना उपलब्ध न होने की दशा में यदि कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो बिना कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किये प्रशासनिक कार्यवाही प्रचलित करने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक 254 /चारा/ I I Iएफ (417)/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड–I I, पशुपालन विभाग अपने से सम्बन्धित जनपदों की सूचना तत्काल उपलब्ध करायें।

2– विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।